न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :296 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 418)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा एंव सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 03.09.2025

उपस्थित: 1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 26.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60 / 58 में क्रम संख्या 13 पर जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 35 / 6302 हिस्सा एंव क्रम संख्या 22 पर रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह 35 / 6302 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा वादीगण के द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा से खरीद किया हुआ है। क्रम संख्या 13 पर उक्त रकबा श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर के नाम व क्रम संख्या 22 पर उक्त रकबा श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा के नाम से दर्ज होना चाहिए था। इसलिए वादीगण उक्त रकबा को दुरूस्त करवाना चाहता है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ. नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60 / 58 में क्रम संख्या 13 पर जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर व क्रम संख्या 22 पर अंकित नाम रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

13 वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4082 दिनांक 24.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मनप्रीत कौर पत्नी रणजीत सिंह व राजेन्द्र कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 46 एफ मौडा ने अपने नाम दर्ज क्रमशः 0.030 हैक्टेयर व 0.040 हैक्टेयर भूमि का बेचान श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा व श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा किया गया है। लेकिन सहवन से

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उक्त रकबा संस्था के नाम दर्ज ना होकर खातेदारों के नाम दर्ज हो गई। साक्ष्यवादी में गवाह जितेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

14 बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 की प्रति, बैयनामा दिनांक 24.08.2022 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 में क्रम संख्या 13 पर जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर व क्रम संख्या 22 पर अंकित नाम रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में नाम श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर व श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मनप्रीत कौर पत्नी रणजीत सिंह व राजेन्द्र कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 46 एफ मौडा ने अपने नाम दर्ज क्रमशः 0.030 हैक्टेयर व 0.040 हैक्टेयर भूमि का बेचान श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा व श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा किया गया है। लेकिन सहवन से उक्त रकबा संस्था के नाम दर्ज ना होकर खातेदारों के नाम दर्ज हो गई। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

15 अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 में क्रम संख्या 13 पर अंकित जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर व क्रम संख्या 22 पर अंकित रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी बनाम	प्रतिवादी
श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था चक 13 ओ जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा एंव सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 296/2025
निर्णय दिनांक :- 26.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60/58 में क्रम संख्या 13 पर अंकित जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए सदस्य जसविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर व क्रम संख्या 22 पर अंकित रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह के स्थान पर श्री गुरू गोविन्द सिंह खालसा शिक्षण संस्था श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/~~296~~ 956 दिनांक 26.12.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर